



केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
काडर नियंत्रण प्राधिकारी, CADRE CONTROLLING AUTHORITY
हैदराबाद जी.एस.टी आयुक्तालय, HYDERABAD GST COMMISSIONERATE
जीएसटी भवन, एलबी स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-500004
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004
Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204
e-mail: cgst.hydcommr@gov.in ; cgst.hydcca@gov.in

File No. II/(13)/110/2023-CCA-O/o Pr COMMR-CGST-HYD.

Date: # As e-Signed

स्थापना आदेश (राजपत्रित) सं. 68/ सं.नि.प्रा./2026
ESTABLISHMENT ORDER (G.O.) No. 68/CCA/2026

प्रधान मुख्य आयुक्त, हैदराबाद जोन की अनुमोदन से, निम्नलिखित अधीक्षकों को वायु सीमा शुल्क अधीक्षक (एसीएस) के रूप में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आर.जी.आई.ए.), में 25% एयरपूल कोटा के तहत तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक तैनात किया जाता है।

With the approval of the Principal Chief Commissioner, Hyderabad Zone, the following Superintendents are hereby posted as Air Customs Superintendents (ACSs) at Rajiv Gandhi International Airport (RGIA), Hyderabad under 25% Airpool Quota with immediate effect until further orders.

क्र.सं. Sl. No.	अधिकारी का नाम (श्रीमान/श्रीमती) Name of the Officer (S/Shri./Smt.)	वर्तमान क्षेत्र Present Zone
01.	K Vinay	Chennai Customs Zone
02.	Jaiwanth Komandala	Chennai Customs Zone

2. वायु सीमा शुल्क अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:

The terms and conditions for posting as Air Customs Superintendent are as under:

- (i) आरजीआई, हैदराबाद में तैनाती की अवधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 2 (दो) वर्ष है। तथापि, हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारी को प्रशासनिक कारणों के अधर पर 2 (दो) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

The tenure of posting at RGIA, Hyderabad is 02 (Two) years from the date of assumption of charge. However, an officer posted to the Airport can

be repatriated at any time before completion of 02 (Two) years on administrative grounds.

(ii) आरजीआईए, हैदराबाद में तैनात अधिकारियों को अपने आवासीय आवास व स्थानीय यातायात की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

The officers posted at RGIA, Hyderabad will have to make their own arrangement for residential accommodation and local transport.

(iii) यदि हवाई अड्डे पर तैनात कोई वायु सीमा शुल्क अधीक्षक पदोन्नत हो जाते हैं, जब तक कि वह अधिकारी पदोन्नति से अस्वीकार न कर दे, तो उस अधिकारी को उसके मूल आयुक्त कार्यालय/क्षेत्र में वापस भेज दिया जाएगा।

In case any Air Customs Superintendent posted to Airport gets promoted, such officer consequent on his/ her promotion would be repatriated to his parent Commissionerate/ Zone unless the officer refuses promotion.

(iv) हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारी, प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, हैदराबाद में समय-समय पर वेतन और भत्ते के पात्र होंगे।

The officers posted at Airport will be eligible to draw pay and allowances, in the office of the Principal Commissioner of Customs, Hyderabad at the rates admissible to them from time-to-time.

(v) हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारियों को "प्रतिनियुक्ति" के रूप में माना जाएगा, परंतु उन्हें कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता नहीं दिया जाएगा।

Officers posted at the Airport shall be considered as "On Deputation" to the Airport but no Deputation Allowance is admissible to them.

(vi) हवाई अड्डे पर तैनात अधिकारी को नियमानुसार वर्दी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा।

Officers posted at the Airport will be entitled to draw Uniform Allowance, as admissible.

3. उपरोक्त अधिकारियों को 15.04.2026 को या उससे पहले अपर आयुक्त (का व स), सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद के समक्ष कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अधिकारी कार्यभार ग्रहण करने में रुचि नहीं रखता है और नियुक्ति का प्रस्ताव बिना किसी और सूचना के स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

The above officers should report for duty before the Additional Commissioner (P&V), Customs Commissionerate, Hyderabad on or before 15.04.2026, failing which it will be presumed that the officer is not interested to join and the offer of appointment will be automatically cancelled without any further intimation.

4. सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिकारियों की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट को अभिलेख हेतु इस कार्यालय को अग्रेषित करें।

Customs Commissionerate, Hyderabad is requested to forward the joining report of the above mentioned officers to this office for record.

किसी भी अस्पष्टता के मामले में, अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा ।

In case of any ambiguity, English version will prevail

(एम वी राम कृष्ण)
(M V RAMA KRISHNA)
मुख्य लेखा अधिकारी
CHIEF ACCOUNTS OFFICER (CCA)

प्रति To

संबंधित अधिकारी (संबंधित अधिकारी के माध्यम से)

The Individual Officer (Through the officer concerned)

प्रतिलिपि अग्रेषित:

Copy submitted to:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र ।
The Principal Chief Commissioner, Customs & Central Tax, Hyderabad Zone.
2. मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई जोन, कस्टम हाउस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600 001।
The Chief Commissioner of Customs, Chennai Zone, Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
3. प्रधान आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जीएसटी भवन, हैदराबाद।
The Principal Commissioner of Customs, Customs Commissionerate, GST Bhavan, Hyderabad.
4. प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई-VIII (सामान्य) आयुक्तालय, कस्टम हाउस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600 001।
The Principal Commissioner of Customs, Chennai-VIII (General) Commissionerate, Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
5. प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त, चेन्नई-III (निवारक) आयुक्तालय, कस्टम हाउस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600 001।
The Principal Commissioner of Customs, Chennai-III (Preventive) Commissionerate, Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.
6. अपर आयुक्त (का व स), सीमा शुल्क आयुक्तालय, हैदराबाद।
The Additional Commissioner (P&V), Customs Commissionerate, Hyderabad.

प्रतिलिपि Copy to:

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन व भुगतान लेखा अधिकारी, हैदराबाद क्षेत्र ।
The CAO/ PAO, Customs and Central Tax, Hyderabad Zone.
2. मुख्य लेखा अधिकारी, चेन्नई-VIII (सामान्य) आयुक्तालय, कस्टम हाउस, 60, राजाजी सलाई, चेन्नई - 600 001।
The Chief Accounts Officer, Chennai-VIII (General) Commissionerate, Custom House, 60, Rajaji Salai, Chennai - 600 001.

3. महासचिव, अखिल भारतीय केंद्रीय कर अधीक्षक संघ (एआईएससीटी), हैदराबाद क्षेत्र |
The General Secretary, All India Association of Superintendents of Central Tax (AIASCT), Hyderabad Zone.
4. महासचिव, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, अनु. जा. एवं अनु. ज. जा. कर्मचारी कल्याण संघटन, हैदराबाद |
The General Secretary, Central Excise & Customs, SC & ST Employees Welfare Association, Hyderabad.
5. अधीक्षक (कंप्यूटर), केंद्रीय कर, हैदराबाद जीएसटी आयुक्त कार्यालय - से अनुरोध है कि इसे आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
The Superintendent (Computers), Central Tax, Hyderabad GST Commissionerate – with a request to upload on the official Zonal Website.
6. सूचना पट्ट/ स्टॉक फाइल।
The Notice Board/ Stock File.